प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 28.11.2016 को राज्य के नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ हुई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

2. **उपयोगिता प्रमाण–पत्र** – नगर पंचायतों में लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र शीघ्र जमा कर दिया जाय। उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रहने के कारण निकासी पर रोक लगाई जा सकती है। वर्ष 2012–13 तक पीएल खाते में जमा राशि को जमा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजें। साथ ही बैंक खाते में जमा राशि, जिसकी निकासी नहीं की गई है, का अनिकासी प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कई कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा कोषागार में पैसा जमा कराने की विधि पता नहीं होने की बात बताई गई। इस संबंध में विभाग द्वारा सभी कार्यपालक पदाधिकारी को एक दिशा निर्देश भेज दिया जाय। जिन निकायों में अधिक राशि पीएल खाते में जमा है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अधिक लंबित है वहॉ अभियान चलाकर इसे पूरा करें तथा विशेष सचिव इन निकायों (रोसड़ा, बख्तियारपुर, चकिया, दाउदनगर, फतुहा, झाझा, झंझारपुर, कोवाथ, कोईलवर, मोनिया, रफीगंज, खुसरूपुर आदि) के कार्यपालक पदाधिकारियों को अलग से बुलाकर निदेशित करें। यदि राशि के संबंध अस्पष्टता हो तो विभाग से संपर्क कर स्पष्ट कर लिया जाय। विभाग द्वारा भेजे गये फार्मेट में बीस प्वाइंट्स में आवश्यक प्रविष्टि कर वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक का प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें साथ ही भेजे जाने वाले प्रतिवेदन के अभ्युक्ति कॉलम में आवश्यकतानुसार अभ्युक्ति अवश्य दर्ज किया जाय। जिन निकायों के द्वारा प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है वे 03 दिसंबर, 16 तक अनविार्य रूप से प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। महालेखाकार कार्यालय में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र को संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक द्वारा महालेखाकार कार्यालय में जाकर जमा कराया जाय।

(अनुपालन– विशेष सचिव (श्री मंडल)/सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

3. **मुख्यमंत्री शहरी नली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना**– लगभग सभी नगर पंचायतों में दीर्घकालीन योजनाओं को अपलोड कर दिया गया है। प्राथमिकता तैयार कर इसे कार्यालय के सूचना पट्ट पर अवश्य लगा दिया जाय ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। निर्धारित प्राथमिकता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाय। विशेष परिस्थिति में कारण दर्ज करते हुए वार्ड सभा से स्वीकृति कराकर विभाग से अनुमोदन के उपरांत ही परिवर्तन किया जाय। सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि इस योजना की निविदा 07 दिसंबर तक प्रकाशित कर कार्य 15 दिसम्बर, 16 तक अवश्य कार्यालय आदेश निर्गत कर दिया जाय। जहॉ अभिंयताओं की कमी है वहॉ संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी पत्र लिखें तथा व्यक्तिगत रूप से बात कर समस्या का निष्पादन किया जाय साथ ही विभागीय नोडल पदाधिकारी श्री सोमेश, कार्यपालक अभियंता से बात किया जाय। जिला पदाधिकारी द्वारा इस योजना की सत्त समीक्षा करने हेतु विभाग द्वारा पत्र लिखा जाय। सभी निविदा का प्रकाशन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से ही किये जाएँ। निर्मली के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उन्हें डिजिटल सिग्नेचर नहीं मिला है। रामनगर के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वहॉ निविदा प्रकाशित हुई पर किसी के द्वारा भाग नहीं लिया गया है पुनः निविदा निकाली जा रही है। एम.आई.एस. के माध्यम से सारी योजनाओं के प्रगति का प्रतिवेदन भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि इसका सभी स्तरों पर अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके। यदि एम.आई.एस. में प्रतिवेदन भेजने में कोई कठिनाई हो तो विभागीय कर्मियों से संपर्क समस्या का

निराकरण शीघ्र कर लिया जाय यदि कंप्यूटर ऑपरेटरों को कोई समस्या हो तो पुनः प्रशिक्षण प्राप्त कर लें।

(अनुपालन– विशेष सचिव (श्री दयाल)/ सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

4. **सबके लिए आवास योजना**– सभी नगर निकायों को पूर्व में बताया जा चुका है कि इस योजना के तहत HFAPOA के बिना भारत सरकार के द्वारा योजना की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। इस कार्य को करने हेतु सर्वप्रथम डिमाण्ड सर्वे किया जाना आवश्यक है परन्तु अभी तक कई नगर पंचायतों द्वारा डिमाण्ड सर्वे भी पूर्ण नहीं कराया गया है । प्रथम फेज के तहत स्वीकृत आवासों के लिए प्रथम किश्त का भुगतान 75 प्रतिशत होने पर ही दूसरे फेज की स्वीकृति दी जायेगी। इसलिए दिसम्बर, 16 तक निश्चित रूप से लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान निश्चित रूप से कर दिया जाय। यदि आपके निकाय में राशि नहीं गई है तो विभाग के सक्षम पदाधिकारी से शीघ्र संपर्क कर लें। जिन नगर पंचायतों में योजनाओं की स्वीकृति मिली है उनके द्वारा एम.आई.एस. इंट्री किया जाना एवं अग्रेतर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चत किया जाय। जिन निकायों द्वारा प्रथम किश्त के भुगतान का प्रतिवेदन शून्य है उनसे स्पष्टीकरण की मॉग की जाय। साथ ही निदेशित किया जाय कि वे अपने नगर पंचायत में विशेष अभियान चलाकर दिसंबर, 16 तक प्रथम किश्त का भुगतान निश्चित रूप से करें अन्यथा सकारण प्रतिवेदन भेजें ताकि आपके निकाय से राशि वापस लेकर भारत सरकार को सूचित किया जा सके।

(अनुपालन–विशेष सचिव (श्री दयाल)/सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

5. **IHSDP**– ठाकुर गंज में इस योजना की प्रगति बहुत धीमी है। दिसम्बर, 16 तक 299 लंबित योजना को शीघ्र प्रारंभ कर इसे अतिशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

6. **मुख्यमंत्री हर घर नल–जल निश्चय योजना**– इस योजना के तहत सभी घरों को पाईप के माध्यम से नल का जल उपलब्ध कराना है। जिन घरों अपना बोरिंग है उन घरों में पाईप वाटर सप्लाई देना है। जिन निकायों में यह कार्य पूर्व से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जा रहा है उन निकायों में उनके द्वारा आच्छादित क्षेत्र/घरों के अतिरिक्त शेष सभी नगर पंचायत के क्षेत्र/घरों में नगर पंचायत द्वारा जलापूर्ति की जायेगी। पूर्व से बिछाये गये पाईप यदि बहुत पुराना/ या क्षतिग्रस्त है तो जॉच कर आश्वस्त होने पर नये सिरे से पाईप वाटर सप्लाई देना सुनिश्चित किया जाय। जो योजना बंद पड़ा हुआ है या जर्जर स्थिति में है उसे या उसके टावर को टेक ओवर भी किया जा सकता है। टेक ओवर के संबंध में एक गाईडलाईन विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है जो शीघ्र सभी निकायों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। घरों की संख्या के अनुसार पंप की क्षमता को वर्गीकृत किया गया अतः भविष्य में आबादी बढ़ेगी इसे ध्यान में रखते हुए उपयुक्त क्षमता वाले पंप की योजना का चयन किया जाय। चूँकि वाटर टावर बनाने की व्यवस्था इस योजना में नहीं है अतः सार्वजनिक स्थानों का चयन वार्ड सभा के माध्यम से कर वैटस का निर्माण कराया जाय ताकि बिजली के अभाव में मोटर बंद रहने पर वैटस में जमा पानी का उपयोग किया जा सके। जिन निकायों में अभियंताओं की कमी है वहॉ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ बिहार राज्य जल पर्षद के अभियंताओं से तकनीकी सहायता ली जाय। इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारी को एक पत्र विभाग से निर्गत किया जाय। मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसके अनुसार प्रत्येक वार्ड में अलग–अलग योजना लेना है। आवश्यकता पड़ने पर वार्ड से अधिक की योजना भी ली जा सकती है। निविदा का प्रकाशन निर्धारित

प्रकिया द्वारा ही की जाय ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। पानी कनेक्शन में ध्यान देना है कि मेन पाईप से किसी घर को सीधे न देकर फेरूल के माध्यम से ही दिया जाय। सभी नगर पंचायतों द्वारा सभी वार्डों के लिए निविदा का प्रकाशन 10 दिसंबर, 16 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय।

(अनुपालन– विशेष सचिव (श्री दयाल)/सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

7. **स्वच्छ भारत मिशन** – माननीय मुख्यमंत्री निश्चय यात्रा के दौरान इसकी समीक्षा और पूर्ण कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। इसलिए इस योजना पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। पूर्ण कराये गये कार्यों का प्रतिवेदन एम.आई.एस. के माध्यम से रिपोर्ट पोर्टल पर भेजा जाय। अधिक–से–अधिक वार्डों को ODF घेषित करने का प्रयास किया जाय। जिन वार्डों में धर में शौचालय निर्माण के लिए जगह नहीं हो तो वहॉ सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाय। समीक्षा के क्रम में कुछ नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शौचालय निर्माण के क्रम में उपलब्ध जमीन विवादित है अथवा रेलवे/ सरकारी/ बॉध/चीनी मिल की जमीन है। कार्यपालक पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से मिलकर इन मामलों का निष्पादित कर अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाय।

(अनुपालन–सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

8. **लोक लेखा** – लंबित मामलों का निष्पादन शीघ्र किया जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को और उसकी प्रतिलिपि विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन–सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)

9. **होल्डिंग टैक्स** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि टैक्स की वसुली कम हो रही है, जिसके कारण नगर पंचायतों में राजस्व की कमी हो रही है। टैक्स का निर्धारण कर टैक्स वसूली में तेजी लायें ताकि आंतरिक संसाधन में वृद्धि लाई जा सके। वसूल की गई राशि को एम.आई.एस. पर अवश्य प्रतिवेदित करें। फिलहाल एक माह का समय दिया जाता है बाद में कम वसूली के लिए जिम्मेवार संबधित नगर पंचायत के पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जायेगा। होल्डिंग टैक्स वसूलने वाले टैक्स कलेक्टर के नियोजन में रोस्टर का ध्यान रखा जाना चाहिए। मोबाईल टॉवर अधिनियम, 2012 के नियमावली के अनुसार मोबाईल कम्पनियों से वसूली कर डिमान्ड भेजने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन– सभी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी)

10. **अन्य कर** :– विज्ञापन कर/बस स्टैण्ड से प्राप्त कर/ दाखिल–खारिज कर/जन्म–तथि प्रमाण–पत्र आदि से प्राप्त होने वाले राजस्व की वसूली में तेजी लाया जाय। जो भी सैरात प्राप्त हुआ है, जिला से उस पर कार्रवाई करें।

(अनुपालन– सभी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी)

11. **DAY-NULM** :– इस योजना का आरंभ सभी नगर पंचायतों में किया जा रहा है। जिसके तहत स्वयं सहायता समुह बनाकर लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करना, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन को बैंक से

लिंक अप कराना, प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलाना, वेन्डर जोन बनाना, फुटपाथ को चिन्हित करना, जमीन चिन्हित कर रैन बसेरा का निमार्ण कराया जाना आदि शामिल है। कुछ नगर पंचायतों द्वारा योजना की शुरूआत की जा चुकी है। योजना में शामिल प्रत्येक घटक के क्रियान्वयन हेतु तत्परता बरती जाय एवं संबंधित योजना में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर शेष राशि की मॉग की जाय। इस योजना के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की जानकारी हेतु श्री संजीव पाण्डे, स्टेट प्रोजेक्ट पदाधिकारी के मोबाईल (9810222591) पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(अनुपालन– सभी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी)

12. **विधायी मामले**:– वर्तमान में विधान सभा सत्र चल रहा है। पूर्व में लंबित विधान सभा/विधान परिषद के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने हेतु आपको कई बार स्मारित किया गया है। परन्तु उत्तर या तो अप्राप्त है या सही नहीं है। अतः विधान सभा/विधान परिषद के तारांकित प्रश्न, निवेदन आदि का उत्तर तैयार कर शीघ्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। उत्तर भेजने हेतु किसी प्रकार की कठिनाई होने पर श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक के मोबाईल नम्बर (**9431277900**) पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(अनुपालन– सभी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी)

13. बखरी, झाझा, नवीनगर, रोसड़ा, साहेबगंज, बड़हिया अनुपस्थित कार्यपालक पदाधिकारी, जिनके प्रतिनिधि भी बैठक में भाग नहीं लिये हैं, को स्पष्टीकरण पूछा जाय।

(अनुपालन– निदेशक, नगरपालिका प्रशासन।)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

30/11/2016

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 8963 / न0वि0एवंआ0 विभाग/ पटना, दिनांक 02/12/2016

प्रतिलिपि– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/11/2016
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 8963 / न0वि0एवंआ0 विभाग/ पटना, दिनांक 02/12/2016

प्रतिलिपि– सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी/ विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/11/2016
प्रधान सचिव